

यदि उन्हें भी शेरर खरीदने का अधिकार दिया गया, तो भविष्य में वे अपने पैसे के बल से अपने पैसे के जोर से दूसरे लोगों को, किसानों को अपने भन्दर मिला लेंगे, जिस का नतीजा यह होगा कि धीरे धीरे उस में उनका ही अधिकार हो जायेगा और वे नफ़ा कमाने के लिये कोई रास्ता ढूँढ लेंगे। मेरा मत यह है कि जो इस तरह की कम्पनीज बनी हुई हैं, उन को इसके शेरर खरीदने का अधिकार नहीं देना चाहिये था। फिर भी अब माननीय मंत्रीजी का जैसा एक्सपीरियंस होगा, उसी के अनुसार वह कार्यवाही करेंगे। मुझे केवल इतना ही कहना था कि मुझे संदेह है कि इस अवस्था में किसानों को कुछ तकलीफ़ और नुकसान होगा। चन्प्यबाद।

Shri A. P. Jain: Sir, in conclusion, I have to perform the pleasant duty of thanking the hon. Members for the co-operation which they had afforded in the passing of this Bill. It is true that we have not been able to give as much time as a measure of this importance deserved. But, I have tried to accommodate as many points of view as possible. Many things have been said in this House. I can assure the hon. Members that we shall take action on those. We shall benefit by their advice. I also hope that in the implementation of this very important measure, I shall have a large measure of co-operation from the hon. Members.

As you were pleased to observe a new point has been raised Ladies are suited to look after warehouses; it has been said. They are more suited to look after 'houses'—excluding 'ware'. We have made a beginning and we have appointed a lady as the keeper of a warehouse. I hope more women will be coming forward and occupy more important places than it has been possible for them to occupy hitherto.

Mr. Deputy-Speaker: The question is: "That the Bill, as amended, be passed."

The motion was negatived.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIFTY-SECOND REPORT

Shri Morarka (Ganganagar—Jhunjhunu): I beg to move:

"That this House agrees with the Fifty-second Report of the Committee on Private Members'

Bills and Resolutions presented to the House on the 9th May, 1956."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Fifty-second Report of the Committee on Private Members' Bill and Resolutions presented to the House on the 9th May, 1956."

The motion was adopted.

RESOLUTION RE: CEILING ON INCOME OF AN INDIVIDUAL— *Contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume discussion on the Resolution moved by Shri Bibhuti Mishra on the 27th April, 1956 regarding ceiling on income of an individual. Out of four hours allotted for the discussion of the Resolution, 3 hours and 59 minutes are left for the purpose of discussion to-day. Shri Bibhuti Mishra may continue his speech.

श्री बिभूति मिश्र (सारन व चम्पारन):

उपाध्यक्षजी जिस प्रस्ताव को मैंने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार को १९४७ में ही, जब कि उसको विल्ली का तख्त मिला था, उस प्रस्ताव के सिद्धान्त को स्वीकार कर के उसे कार्य रूप में परिणत करना चाहिये था। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने इस बारे में इतनी देरी क्यों की है। जितने भी हमारे भाई कांग्रेस में रहे हैं या जिनका गांधीजी के साथ सम्बन्ध रहा है, वे नित्य प्रति आश्रमों और जिला और थाना कांग्रेस कमेटी में गांधीजी द्वारा बनाई हुई प्रार्थना शाम को गाया करते थे। उस प्रार्थनासे गांधीजी हम लोगों को तैयार करते थे। उस प्रार्थना में पहली बात यह थी:

न त्वम् कामये राज्यम् न स्वर्गम् न पुनरभ्वम्
कामये दुःखं तप्तानाम् प्राणिनामाति नाशनम्।

गांधीजीकी प्रार्थना में यह बात थी कि हमको राज्य नहीं चाहिये, हमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है, हमको एक ही इच्छा है कि हम गरीबों का दुःख दूर कर सकें। इसी प्रार्थना के साथ हम गांधीजी की एकादश व्रत की प्रार्थना करते थे। उनमें एक प्रार्थना यह भी थी कि हमको अपरिग्रही होना चाहिये। हम लोग जो स्वराज्य के सैनिक थे और गांधी जी के उसूलों के अनुसार रचनात्मक काम करते थे उनको इन प्रार्थनाओं को रोज सुबह और शाम पाठ करना पड़ता था। गांधीजी ने इन प्रार्थनाओं के द्वारा देश में रचनात्मक कार्य